



.....प्रेस नोट

थाना छपार पुलिस द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले 04 नफर अभियुक्त गण को मय लूट की 02 अदद मोटर साईकिल एक काले रंग की स्पलेण्डर UP19S1559 व एक लाल रंग की पैशन प्रो UP12AB6824 मय 01 अदद मोबाईल फोन रियल मी कम्पनी के साथ गिरफ्तार कर मा0न्याया0 पेश किया जायेगा ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल निर्देशन तथा श्रीमान थाना प्रभारी थाना छपार के कुशल नेतृत्व में थाना छपार पुलिस द्वारा दौराने चैकिंग 04 नफर अभियुक्त गण 01 वंश पुत्र सोमदत्त निवासी सुन्दरनगर रामपुर तिराहा थाना छपार जनपद मु0नगर उम्र करीब 19 वर्ष 02 नीशूल पुत्र विपिन कुमार निवासी ग्राम सिसौना थाना छपार मु0नगर उम्र करीब 19 वर्ष 03 निखिल पुत्र रवि कुमार निवासी ग्राम रामपुर थाना छपार मु0नगर उम्र करीब 20 वर्ष 04 सूरज पुत्र रविप्रकाश निवासी ग्राम रामपुर थाना छपार मु0नगर उम्र करीब 20 वर्ष मय एक अदद मोटर साईकिल नं0 UP12AB6824 लाल रंग पैशन प्रो व चैसिस नं0 MBLHA10AWCHK73577 व इंजन नं0 HA10ENCHK45129 थाना छपार मु0अ0सं0 161/2026 धारा 309(4) बीएनएस से सम्बन्धित व एक अदद मोटर साईकिल स्पलेण्डर नं0 UP19S1559 जिसका चैसिस नं0 MBLHAW232RHAA4414 व इंजन नं0 HA11E8RHA91713 मय एक अदद मोबाईल फोन रेडमी कम्पनी थाना कोतवाली नगर मु0नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 351/2026 धारा 309(4) बीएनएस से सम्बन्धित के दिनांक 08.08.2026 समय 23.12 बजे छपार रोहाना रोड बिजोपुरा कट के पास गिरफ्तार किया गया । अभि0गण को मा0न्या0 के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.08.2026 को वादी श्री अब्दुल सत्तार पुत्र बुन्दू हसन निवासी इस्लाम नगर थाना खतौली जिला मु0नगर मो0नं0 9368154962 ने उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना बाबत अभियुक्त 04 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के द्वारा वादी श्री अब्दुल सत्तार उपरोक्त के भतीजे शादमान को इन्स्टाग्राम पर मैसेज कर बुलाना तथा जहां पर वादी के भतीजे से बाईक पेसन प्रो लाल रंग जिसका नं0 UP 12 AB 6824 व मोबाईल फोन ओपो F-27 PRO 5G जिसका IMEI NO. 1- 861654070285871 IMEI NO. 2- 861654070285863 सिम जियो नं0 8755986357 व जेब मे रखे 2600/- रुपये जबरजस्ती छीनकर कर ले जाने के सम्बन्ध में लाकर दाखिल किया । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 161/2026 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री पवन कुमार के सुपुर्द की गयी । मुकदमा उपरोक्त के सफल अनावरण हेतु थाना स्तर से टीम गठित की गयी । उ0नि0 श्री पवन कुमार मय हमरायीन के दौराने चैकिंग अभियुक्त गण 01 वंश पुत्र सोमदत्त निवासी सुन्दरनगर रामपुर तिराहा थाना छपार जनपद मु0नगर उम्र करीब 19 वर्ष 02 नीशूल पुत्र विपिन कुमार निवासी ग्राम सिसौना थाना छपार मु0नगर उम्र करीब 19 वर्ष 03 निखिल पुत्र रवि कुमार निवासी ग्राम रामपुर थाना छपार मु0नगर उम्र करीब 20 वर्ष 04 सूरज पुत्र रविप्रकाश निवासी ग्राम रामपुर थाना छपार मु0नगर उम्र करीब 20 वर्ष मय एक अदद मोटर साईकिल नं0 UP12AB6824 लाल रंग पैशन प्रो व चैसिस नं0 MBLHA10AWCHK73577 व इंजन नं0 HA10ENCHK45129 थाना छपार मु0अ0सं0 161/2026 धारा 309(4) बीएनएस से सम्बन्धित व एक अदद मोटर साईकिल स्पलेण्डर नं0 UP19S1559 जिसका चैसिस नं0 MBLHAW232RHAA4414 व इंजन नं0 HA11E8RHA91713 मय एक अदद मोबाईल फोन रेडमी कम्पनी थाना कोतवाली नगर मु0नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 351/2026 धारा 309(4) बीएनएस से सम्बन्धित के दिनांक 08.08.2026 समय 23.12 बजे छपार रोहाना रोड बिजोपुरा कट के पास गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त गण ने पूछताछ में बताया कि हम लोगो के द्वारा दिनांक 01.08.26 को थाना क्षेत्र छपार के पानीपत मार्ग पर रई कट के पास से एक लाल रंग की पैशन प्रो मोटरसाईकिल नं0 UP12AB6824 व एक मोबाईल ओप्पो कम्पनी का और 2600/- रुपये व दिनांक

05.08.26 को थाना क्षेत्र कोतवाली नगर मु0नगर के इसी पानीपत हाईवे पर ग्राम बाननगर पुल के पास से एक काले रंग की स्पलेन्डर मोटर साईकिल नं0 UP19S1559 और मोबाईल आसमानी रंग का रेडमी कम्पनी का मोबाईल और 3,000/- रुपये लूटे थे। लूटे हुये मोबाईल फोन ओप्पो को हमने राह चलते हुये व्यक्ति को 2500/- रुपये में बेच दिया था तथा लूटे हुये पैसे व मोबाईल बेच कर प्राप्त पैसे को हमने आपस में बांट लिया था जिन्हे हमने शौक मोज में खर्च कर दिया है। आज हम लोग मोटर साईकिलो को बेचने जा रहे थे कि छपार पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित माल बरामदगी व साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 317(2)/61(2) बीएनएस की बढ़ोतरी करते हुये आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का नाम:-

01. वंश पुत्र सोमदत्त निवासी सुन्दरनगर रामपुर तिराहा थाना छपार जनपद मु0नगर उम्र करीब 19 वर्ष।
02. नीशूल पुत्र विपिन कुमार निवासी ग्राम सिसौना थाना छपार मु0नगर उम्र करीब 19 वर्ष।
03. निखिल पुत्र रवि कुमार निवासी ग्राम रामपुर थाना छपार मु0नगर उम्र करीब 20 वर्ष।
04. सूरज पुत्र रविप्रकाश निवासी ग्राम रामपुर थाना छपार मु0नगर उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 161/2026 धारा 309(4)/317(2)/61(2) बीएनएस चालानी थाना छपार जनपद मु0नगर।
2. मु0अ0सं0 351/2026 धारा 309(4) बीएनएस चालानी थाना कोतवाली नगर मु0नगर।
3. अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

01. एक अदद मोटर साईकिल नं0 UP12AB6824 लाल रंग पैशन प्रो व चैसिस नं0 MBLHA10AWCHK73577 व इंजन नं0 HA10ENCHK45129
02. एक अदद मोटर साईकिल स्प्लैण्डर नं0 UP19S1559 जिसका चैसिस नं0 MBLHAW232RHAA4414 व इंजन नं0 HA11E8RHA91713 थाना कोतवाली नगर से सम्बन्धित
03. 01 अदद मोबाईल फोन रेड मी कम्पनी थाना कोतवाली नगर से सम्बन्धित

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम:-

- 1 थाना प्रभारी श्री मोहित कुमार
- 2 उ0नि0 श्री पवन कुमार
- 3 उ0नि0 श्री अनुराग सिंह
- 4 का0 2340 किशोर कुमार
- 5 का0 2350 सतेन्द्र कुमार
- 6 का0 1194 सुमित कुमार
- 7 का0 2393 अनिल कुमार



.....प्रेस नोट

थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त को मय एक अदद नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार कर मा०न्या० के समक्ष भेजा गया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नई मंडी के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक थाना नई मंडी के कुशल नेतृत्व में थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त अजय उर्फ पिन्टू पुत्र किरण उर्फ किरणपाल निवासी चांदपुर थाना नई मण्डी मु०नगर उम्र करीब 30 वर्ष को मय एक अदद नाजायज चाकू सहित दिनांक 29.10.2024 समय 13.10 बजे बिन्दल गेट हाउस के सामने खाली प्लाट से गिरफ्तार किया गया । उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मा०न्याया० श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं० 1 मुजफ्फरनगर से बाद सं० 21108/9/21 धारा 380/411 भादवि० एक किता गैर जमानती वारण्ट भी जारी था । जिसकी भी तामील की गई । बरामदगी के आधार पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं० 509/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को मा०न्या० के पेश किया गया ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम:-

1. अभियुक्त अजय उर्फ पिन्टू पुत्र किरण उर्फ किरणपाल निवासी चांदपुर थाना नई मण्डी मु०नगर उम्र करीब 30 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 509/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
2. बाद सं० 21108/9/21 धारा 380/411 भादवि०

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरी० श्री दिनेश चन्द
2. उ०नि० श्री राहुल कुमार
3. का० 155 पंकज शर्मा
4. का० 2026 प्रियांक कुमार



.....प्रेस नोट

थाना नईमण्डी पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त को मय 07 लीटर तोहफा मार्का व फ्रुटी ओरंजी सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नई मंडी मु०नगर के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक थाना नई मंडी के कुशल नेतृत्व में थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा गस्त के दौरान एक नफर अभियुक्त अभियुक्त संजीव उर्फ सन्जू पुत्र चमन निवासी ग्राम सिलाजुड्डी थाना नई मण्डी मु०नगर उम्र करीब 19 वर्ष क्षेत्र चोरी की एक अदद मोटर साइकिल स्पेलेण्डर प्लस रजि० न० UP 15 BK 1459 सम्बन्धित मु०अ०सं० 336/2022 धारा 379 भादवि० चालानी थाना भोपा जनपद मु०नगर व अभि० रोबिन उपरोक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू के साथ जीडी गौहंगा कट जानसठ रोड से दिनांक 13.11.2022 समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार न्यायिक अभिरक्षा में मा०न्याया० भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का नाम:-

1. रोबिन पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम शेरनगर थाना नई मण्डी जनपद मु०नगर।
2. प्रहलाद पुत्र महेश निवासी सिखेडा थाना सिखेडा जनपद मु०नगर।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु०अ०स० 336/2022 धारा 379/411 भादवि० चालानी थाना भोपा जनपद मु०नगर बनाम अभि० रोबिन व प्रहलाद उपरोक्त
2. मु०अ०स० 643/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नई मण्डी मु०नगर बनाम रोबिन उपरोक्त

बरामदगी का विवरण:-

1. थाना भोपा जनपद मु०नगर से चोरी की एक अदद मोटर साइकिल स्पेलेण्डर प्लस न० UP 15 BK 1459
2. एक अदद नाजायद चाकू अभि० रोबिन के कब्जे से बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम:-

1. उ०नि० श्री रविन्द्र सिंह परिहार
2. है०का० 189 अशोक कुमार
3. का० 1073 अमित शर्मा



:.....प्रेस नोट :.....

दिनांक 22.11.2022 को वादी श्री केसु पुत्र सीताराम निवासी कमलनगर कूकडा कांट वाली गली थाना नई मण्डी मु०नगर ने थाना हाजा पर उपस्थित आकर एक किता तहरीर बाबत बहादुर पुत्र लक्ष्मीचन्द निवासी कमल नगर कूकडा थाना नई मण्डी मु०नगर मूल निवासी ग्राम बहादुरपुर सिखेडा मु०नगर द्वारा वादी की माता जी श्रीमति उर्मिला को साईकिल पर बैठाकर ले जाना व उसकी हत्या कर बहादुरपुर के जंगल में पीर के पास कुए में डाल देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर देकर थाना हाजा पर मु०अ०स० 662/2022 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नई मंडी के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक थाना नई मंडी मय हमराह पुलिस फोर्स के उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त बहादुर पुत्र लक्ष्मीचन्द निवासी कमल नगर कूकडा थाना नई मण्डी मु०नगर मूल निवासी ग्राम बहादुरपुर सिखेडा मु०नगर कोसे गिरफ्तार कर किया गया तथा मृतका के शव का पंचायतनामा तैयार कर पोस्ट मार्टम के लिये भेजा गया है।

अभियुक्त बहादुर ने पुछताछ में बताया कि दिनांक 06.11.2022 को मृतका उर्मिला पत्नी सीताराम निवासी कमलनगर कूकडा कांटे वाली गली थाना नई मण्डी मु०नगर का मोबाईल फोन गंगा स्नान शुक्रताल मेले में पेटीज का ठेला लगाते समय मोबाईल फोन चोरी/गुम हो गया था तथा उर्मिला व उसके परिजनो द्वारा मेरे ऊपर फोन चोरी करने का आरोप लगा रहे थे तथा मुझे फोन चोरी/गुम करने के आरोप में आस पड़ोस में लगातार बदनाम कर रहे थे जिससे मैं काफी परेशान था जब मैं ज्यादा परेशान होने पर उर्मिला उपरोक्त को उसका चोरी हुआ फोन दिलाने के बहाने अपनी साईकिल पर बैठाकर दिनांक 20.11.2022 को अपने साथ ले गया था तथा मैंने उर्मिला उपरोक्त को ग्राम बहादुरपुर के जंगल में पीर के पास कुए में करीब 04.00 बजे शाम को धक्का दे दिया जिससे उर्मिला उपरोक्त की कुए में गिरने/पानी में डुबने के कारण मृत्यु हो गयी तथा मैंने उर्मिला के शव को कुए में छिपा दिया था। और मैं छिपते छिपाते शहर से बाहर जा रहा था कि आज आपने मुझे कि आज आपने मुझे पकड़ लिया।

अपराध करने का तरीका -

अभियुक्त द्वारा मृतका उर्मिला पत्नी सीताराम निवासी कमल नगर कूकडा कांटे वाली गली थाना नई मण्डी मु०नगर को साईकिल पर बैठाकर ले जाना व ग्राम बहादुरपुर के जंगल में ले जाकर पीर के पास मृतका उपरोक्त को कुए में धक्का देना जिससे उर्मिला की मृत्यु हो जाना व मृतका के शव को कुए में छिपा देना।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का नाम:-

1. अभियुक्त बहादुर पुत्र लक्ष्मीचन्द निवासी कमल नगर कूकडा थाना नई मण्डी मु0नगर मूल निवासी ग्राम बहादुरपुर सिखेडा मु0नगर

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0स0 662/2022 धारा 302 भादवि थाना नई मण्डी मु0नगर

बरामदगी का विवरण:-

1. घटना मे प्रयुक्त एक अदद साईकिल

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरी0 श्री महावीर सिंह चौहान
2. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह नागर
3. उ0नि0 नीरज गौतम
4. का0 1665 सन्दीप त्यागी
5. का0 1503 मोहित शर्मा
6. का0 2326 अजय कुमार
7. म0का0 1553 नूतन



.....प्रेस नोट

दिनांक 19.10.2024 को वादी श्री शिवकुमार पुत्र श्री किशनसिंह निवासी III अंकित बिहार निकट अनिल मंत्री जी के चौराहे पर पचैडा रोड थाना नई मण्डी मु0नगर ने थाना हाजा पर उपस्थित आकर एक किता तहरीर बाबत दिनांक 18.10.24 को अज्ञात व्यक्ति चोर द्वारा वादी की मो0सा0 NXG Splender UP12S 1992 रंग नीला और काला को चोरी कर जाने के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0स0 493/24 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत कराया । श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नई मंडी के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना नई मंडी के निर्देशन मे उ0नि0 श्री रामवीर सिंह द्वारा हमराह पुलिस फोर्स के उपरोक्त घटना के सम्बन्ध मे संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अर्जुन पुत्र रामवीर निवासी गली न0 01 बचन सिंह कालौनी थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर को मय चोरी हुई उक्त मो0सा0 NXG Splender UP12S 1992 सहित श्री रामेश्वर कालौनी से थोडा आगे पचेण्डा रोड की तराफ से नियमानसार समय 11.52 बजे गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा अभियुक्त थाना सिविल लाईन मु0नगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 303/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे वाँछित अपराधी है जिसके सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही हेतु मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित विवेचक को अवगत कराया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का नाम:-

1. अभियुक्त अर्जुन पुत्र रामवीर निवासी गली न0 01 बचन सिंह कालौनी थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर ।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0स0 493/24 धारा 305/317(4) बीएनएस थाना नई मण्डी मु0नगर
2. मु0अ0स0 303/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिविल लाईन मु0नगर
3. मु0अ0स0 290/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नई मण्डी मु0नगर
4. मु0अ0स0 302/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नई मण्डी मु0नगर
5. मु0अ0स0 670/2023 धारा 380/411 भादवि थाना नई मण्डी मु0नगर
6. मु0अ0स0 190/2024 धारा 3/25/27 आर्मस एक्ट, 109/303(2)/317(2) बीएनएस सिविल लाईन मु0नगर

बरामदगी का विवरण:-

1. मो0सा0 NXG Splender UP12S 1992 रंग नीला और काला

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम:-

7. प्रभारी निरी० श्री दिनेश चन्द
8. उ०नि० श्री रामवीर सिंह
9. उ०नि० श्री तपन जयन्त
10. है०का० 372 जयवीर सिंह
11. है०का० 346 पवन कुमार
12. है०का० 868 अमित कुमार
13. का० 2421 बलदेव सिंह
14. का० 137 देवेन्द्र सैनी



.....प्रेस नोट

थाना नईमण्डी पुलिस द्वारा भारी मात्रा में चण्डीगढ़ हरियाणा लायी जा रही अवैध शराब 48 बोतल अंग्रेजी शराब चण्डीगढ़ मार्का मय घटना में प्रयुक्त एक गाडी कन्टेनर जिसका नं० HR38T8494 के साथ एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय में पेश किया जा रहा है ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वाँछित अभियुक्तों गिरफ्तारी व अवैध शराब बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नई मंडी के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक थाना नई मंडी श्री दिनेश चन्द के नेतृत्व में उ०नि० श्री मोहित सिंह मय हमराह पुलिस फोर्स के द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मनोज कुमार उर्फ बन्टी पुत्री त्रिलोक सिंह उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम बडियाली थाना फतेहपुर जनपद कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को मय कुल 48 बोतल अंग्रेजी शराब चण्डीगढ़ मार्का मय घटना में प्रयुक्त एक गाडी कन्टेनर जिसका नं० HR38T8494 के साथ राधा गोविन्द शोरूम से लगभग 100 मीटर आगे मेरठ की तरफ जाने वाले रास्ते पर एनएच 58 से गिरफ्तार कर किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 504/24 धारा 60/63/72 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त मनोज कुमार उर्फ बन्टी ने पुछताछ में बताया:- कि साहब यह गाडी नं० HR38T8494 राधे राधे ट्रेडिंग कम्पनी नवानगर नालागढ़ रोड पिंजोर जनपद पंचकुला हरियाणा के नाम पर रजिस्टर्ड है जिसके मालिक रबिन अग्रवाल पुत्र सुरेश कुमार अग्रवाल निवासी C3/43 फ़र्स्ट फ़्लोर हिमसिखा कलोनी थाना पिंजोर जनपद पंचकुला हरियाणा है साहब मैं इस गाडी से हरियाणा,पंजाब,चंडीगढ़ के भिन्न भिन्न स्थानों से भोपा रोड मुजफ्फरनगर स्थित पेपर मिलों पर गत्ता लाता हूँ इसी दौरान में वहाँ से सस्ते दामों पर शराब खरीदकर यहाँ लाकर आर्थिक लाभ कमाने हेतु अधिक मूल्य पर राह चलते व्यक्तियों को बेच देता हूँ,आज भी इस शराब को अधिक मूल्य पर बेचकर लाभ कमाता कि आज आपने मुझे पकड़ लिया ।

अपराध करने का तरीका:-

1. चण्डीगढ़,हरियाणा से सस्ते दामों में शराब खरीदकर अधिक मूल्य पर शराब बेचना

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का नाम:-

1. मनोज कुमार उर्फ बन्टी पुत्री त्रिलोक सिंह उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम बडियाली थाना फतेहपुर जनपद कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु०अ०सं० 504/24 धारा 60/63/72 आबकारी अधि० थाना नई मण्डी मु०नगर

बरामदगी का विवरण:-

1. कुल 48 बोतल अंग्रेजी शराब चण्डीगढ़ मार्का (36 बोतल ब्लैंडर्स प्राईड चण्डीगढ़ मार्का + 12 बोतल ग़ोस बोडका चण्डीगढ़ मार्का), एक घटना मे प्रयुक्त गाडी कन्टेनर जिसका नं० HR38T8494

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश चन्द
2. उ०नि० श्री मोहित सिंह
3. उ०नि० श्री राजकुमार बालियान
4. है०का० 52 जयवीर सिंह
5. है०का० 656 इरफान अली
6. का० 386 विकास कुमार
7. का० 1981 कुलदीप सिंह
8. का० 963 हिमाँशु
9. का० 2089 सचिन कुमार